

भारतीय नैर न्यायिक

पांच रुपय

FIVE RUPEES

रु.5

RS.5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 911101



Handwritten text in Hindi: 'श्री. पुल्ले लक्ष्मी नारायण फौजदार कानपुर' (Shri. Pulle Lakshmi Narayan Fardar Kanpur), 'हस्ताक्षर' (Signature), 'कानपुर' (Kanpur), 'दिनांक 1943' (Date 1943).

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
कर्म सभितिया तथा बिदय
कानपुर (उ. प्र.)
17/02/2007

Handwritten signature: Alok Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 908397



श्री कृष्ण लाल शर्मा का. १९१९
 लखनऊ - एड. एल. एम. विद्यालय
 फीस नं० १९५३०
 निपमावला

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
 फर्म सभितिया तथा चिट्ठा
 कैलाबाद (उ० प्र०)

१९०७/१९०७

Handwritten signature

स्मृति-पत्र

१. संस्था का नाम : पीपुल्स एक्शन फॉर सरल एडवांसमेंट एण्ड सस्टेनेबिलिटी'
२. संस्था का पता : ग्राम जयप्रभा ग्राम, पो० पिरखौली, फैजाबाद
३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
४. संस्था का उद्देश्य :



1. समाज के सामाजिक एवं आर्थिक वंचित समूहों को केन्द्रित करते हुए विकासोन्मुख गतिविधियां संचालित करना।
2. किसानों, श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों एवं युवाओं की क्षमता वृद्धि तथा आवश्यक सुविधाओं को मुहैया कराना।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियां संचालित करना।
4. समाज के आर्थिक रूप से विपन्न समुदायों के आर्थिक उन्नयन हेतु आर्थिक गतिविधियां संचालित करना।
5. ग्रामीण दस्तकारी, गैर पारम्परिक उर्जा को बढ़ावा देना।
6. समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक, कानूनी एवं लोक शिक्षा आधारित गतिविधियों को संचालित करना।
7. पंचायतों की गतिशीलता हेतु पंचायत सदस्यों एवं ग्रामीणों के लिए क्षमता वृद्धि एवं जागरूकता कार्यक्रमों, का आयोजन करना व समन्वयन स्थापित करना।
8. समुदाय के वंचित तबकों को उनके हक एवं अधिकार दिलाने हेतु संगठित करना, क्षमता वृद्धि करना तथा उनके मुद्दों पर पैस्वी करना।
9. विकास सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण, अध्ययन एवं शोध कार्य करना।
10. पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
11. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, बुद्धिजीवियों, विद्वानों, बैंकों, एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करना एवं इनसे अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

सत्य प्रतिलिपि

रूप निबन्धक
कर्म समितियां तथा चिट्ठे
फैजाबाद (उ० प्र०)

19/07/2000

1. जयप्रभा

2. रमा शिखर

3. साहेबलाल

Akshay Singh

5. सुलोचना

6. विद्यावती

7. देवेंद्र कुमार

8. अजय कुमार

माह २५/०७

सुलोचना

विद्यावती

कुमार

अजय कुमार



(5) संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको इस संस्था के स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है ।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	श्री भारत भूषण	श्री पारस नाथ	फ्रेण्ड संरक्षक	पीपुल्स एक्शनफारनेशनलइन्टीगेशन(पानी संस्थान) ग्राम व पो0 चाचिकपुर, अम्बेडकरनगर	समाजसेवा
2	श्री रमाशंकर सिंह	श्री रमेश चन्द्र सिंह	अध्यक्ष	ग्रा0 भवनीपुर पो0 पिरखौली फै0	समाजसेवा
3	श्री साहबलाल	श्री राम मिलन	उपाध्यक्ष	ग्रा0 भवनीपुर पो0 पिरखौली फै0	समाजसेवा
4	श्री अम्बरांश कुमार	श्री भारत भूषण	सचिव	4044/3परिक्रमा मार्ग सिविल लाइन,	समाजसेवा
5	श्री सुलोचना	श्री गया प्रसाद	सदस्य	ग्रा0 दिलीप का पुरवा पो0 सारगंपुर फै0	समाजसेवा
6	श्री विद्यावती	स्व. श्री सत्य नारायण	सदस्य	ग्रा0 व पो0 पिरखौली फैजाबाद	समाजसेवा
7	श्री देवेन्द्र	श्री साहब बक्स	सदस्य	ग्रा0 बदन का पुरवा पो0 सारगंपुर फै0	समाजसेवा
8	श्री अजय कुमार	श्री फतेह बहादुर	सदस्य	ग्रा0 जगदीशगंज पो0 पिरखौली फै0	समाजसेवा



हस्ताक्षरकर्ता संस्था उपरोक्त को स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत समिति को पंजीकृत कराना चाहते हैं :-

दिनांक 06/12/2007

हस्ताक्षर

L. S. Singh

माताशंकर

सुलोचना

विद्यावती

अजय कुमार


अजय कुमार

अजय कुमार

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा बिहूड
फैजाबाद (उ० प्र०)

15/12/2007



नियमावली

1. संस्था का नाम : पिपुल्स एक्शन फॉर रूरल एडवांसमेंट एण्ड सस्टेनेबिलिटी'
2. संस्था का पता : ग्राम जयप्रभा ग्राम, पो० पिरखौली, फैजाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में 1000रु. रूपया नकद या इतने ही मूल्य को संपत्ति चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100रु. रूपया सालाना चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

5. सदस्यता को समाप्त:
- 1 मृत्यु हो जाने पर ।
 - 2 पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
 - 3 संस्था के प्रति हानि कर कार्य करने पर ।
 - 4 अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर ।
 - 5 नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
 - 6 नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर ।
 - 7 लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित होने पर ।

6. संस्था के अंग : 1 साधारण सभा 2 प्रबन्धकारिणी समिति ।

7. साधारण सभा :

गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा ।

बैठके : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सचिव द्वारा 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना दिन 7 पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी ।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी परन्तु स्थगित गणपूर्ति के अभाव में एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलाई गयी दूसरी बैठक में गणपूर्ति का प्रतिबन्ध न होगा ।

गणपूर्ति : साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी ।

साधारण सभा के कर्तव्य:

- 1 प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना ।
- 2 संस्था का वार्षिक बजट पास करना ।

सत्य प्रतिलिपि

- 1.
2. 2भाइरकर सिखनद्र
3. सीएलएलएल फर्म समितियों तथा बिदु
4. 19/02/2007

5. आर.ए.ए. सुलोचना
6. विद्यावती विद्यावती
7. देवेन्द्रकुमार - D.M.
8. अजय कुमार अजय कुमार



3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

4 संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।

8. प्रबन्ध कारिणी समिति :

गठन : संस्था के द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिनमें संरक्षक एक, अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, सचिव एक, तथा 4 सदस्य सहित कुल 8 सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या कभी भी आवश्यकतानुसार बढ़ाई व घटाई जा सकती है।

बैठके : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय आहूत की जा सकती है।

सूचनाअवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत कोरम होगा एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः दुबारा बुलाई गई बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा शेष अवधि के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य : 1 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
2 संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा 5 साल बाद पुनः चुनाव होगा।

9 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

संरक्षक : 1. संस्था का मार्गदर्शन करना एवं पदाधिकारियों की समय-समय पर दिशा निर्देशन देना।
2. पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इन्टीग्रेशन (पानी संस्थान) का कार्यकारी सचिव संस्था का पदेन संरक्षक होगा।
3. पारित बजट तथा गतिविधियों की अंतिम स्वीकृत प्रदान करना।
1. बैठक की अध्यक्षता करना।
2. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सम्पन्न कराना।



सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

कर्म समितियां तथा बिट्टर
केबाबाद (उ.प्र.)

उपाध्यक्ष :

सचिव

1. [Signature]

2. [Signature]

3. [Signature]

4.

बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।

संस्था के बैठकों की सूचना प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।

अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के विकास हेतु हो।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।

5. [Signature] सुली यन्ता

6. विधावती विधावती

7. देव-कुमार — Dno

8. अजय कुमार अजय कुमार



- 2 पारित बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
- 3 संस्था के हित में प्रचार साधनों के माध्यम से उपयुक्त वातावरण तैयार करना।
- 4 संस्था का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी होगा।
- 5 बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना।
- 6 बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
- 7 कर्मचारियों को नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना।
- 8 आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना।



- 9 समस्त अन्य संस्थाओं/एजेंसियों/विभाग/मंत्रालय से संबंधित समस्तपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
- 10 संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
- 11 सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नूत्रे सदस्यों को बनाना।
- 12 चल एवं अचल संपत्ति को देख-रेख व सुरक्षा करना।
- 13 संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना।
- 14 संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
- 15 बैठक की कार्यवाही सभा में पढ़कर सुनाना तथा लिपिबद्ध करना।
- 16 सदस्यों के नाम सदस्यता रजिस्टर में नोट करना।

10 **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :**
 संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

11 **संस्था का कोष :** संस्था का समस्त कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

12 **संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण आडिट :**
 संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

13 **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :**
 संस्था द्वारा होने वाली प्रश्न-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14 **संस्था के अभिलेख :**
 1 सदस्यता रजिस्टर 2 कार्यवाही रजिस्टर 3 स्टॉक रजिस्टर 4 लेजर-कैश बुक आदि
 5 उपस्थिति रजिस्टर 6 गतिविधि रजिस्टर 7 आगंतुक पंजिका
 इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य आवश्यक रजिस्टर रखे जाएंगे।

15 **संस्था के विघटन एवं विघटित संपत्ति के निस्तारण को कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।**

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक : 16.12.2004

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
 कर्म समितियां तथा जिदरा
 फैजाबाद (उ.प्र.)

19/12/2004

सुलोचना

विद्यावती

अज्ञेय

अज्ञेय कुमार

Atar Singh

